न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पाक्सो अधिनियम)/अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं0–2, बरेली।

उपस्थित– अभिषेक कुमार चतुर्वेदी, (उच्चतर न्यायिक सेवा)

UPBR010222852018

रजिस्ट्रेशन सं0–15000013/2018

आपराधिक विशेष वाद सं0–149/2020

उत्तर प्रदेश राज्य **————————अभियोजन**

बनाम

1–बब्लू पुत्र नरेन्द्र सिंह, निवासी सतुइया खास थाना फतेहगंज पश्चिमी, जिला बरेली। **.................. अभियुक्त**

मु0अ0सं0–119/2016,

अन्तर्गत धारा–363,366,376(2)एन भा0द0सं0 1860,

व धारा 4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012

थाना–मीरगंज, जिला बरेली।

<u>निर्णय</u>

1– अभियुक्त बब्लू के विरूद्ध थाना मीरगंज बरेली की पुलिस द्वारा आरोप पत्र सं0–208/2016, मुकदमा अपराध संख्या–119/2016, अन्तर्गत धारा–363,366,376(2)एन भा0दं0सं0 एवं धारा 4 लैगिंक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, थाना मीरगंज विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2– माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था **Om Prakash Vs.State of U.P 2008 (8) ACC 566 S.C.** में यह अवधारित किया है कि *"in cases of rape the name of the victim must not be mentioned in the judgment so that her identity could be concealed."* इस सम्बन्ध में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 228ए में विशिष्ट रूप से प्रावधान भी दिया गया है। अतः प्रस्तुत प्रकरण में उपरोक्त विधि व्यवस्था तथा विधि के प्रावधान के आलोक में पीड़िता को पीड़िता कहकर सम्बोधित किया गया है।

3– वादिनी मुकदमा द्वारा थाना मीरगंज बरेली में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने हेतु इस आशय का प्रार्थना पत्र दिया गया कि दिनांक 07.04.2016 को समय लगभग दोपहर बारह बजे उसके दामाद महेन्द्र सिंह पुत्र वीरपाल, निवासी ग्राम गूला थाना मीरगंज बरेली के ममेरे भाई बब्लू पुत्र नरेन्द्र सिंह व इनकी मॉ बेटी रामबेटी पत्नी नरेन्द्र सिंह, निवासी ग्राम सतुइया खास थाना फतेहगंज पश्चिमी बरेली उसके घर दिवना आये। बब्लू उपरोक्त रिश्तेदारी की वजह से उसके घर

आते–जाते रहते थे। उसने इन लोगों को आव–भगत व नाश्ता कराया था। उसी दिन उसकी पुत्री/पीड़िता जो कि नाबालिग है, को मीरगंज में सामान बगैरह खरीदने के लिए साथ ले गये थे। कस्बा मीरगंज में इन्हें सामान खरीदते हुए गांव के रजत व वीरपाल ने देखा था तथा इन लोगों ने उसे गांव में आकर बताया था, इसके बाद उसने बब्लू को कई बार फोन लगाया, परन्तु बब्लू ने कोई जबाव नहीं दिया। इसके बाद वह अपने दामाद के साथ बब्लू के घर अपनी पुत्री/पीड़िता को देखने गयी, तो इन लोगों ने कहा कि तुम्हारी लड़की यहॉ नहीं आयी है और उसे गुमराह किया। अब तक वह अपनी पुत्री/पीड़िता को रिश्तेदारी में इधर–उधर तलाश करती रही, परन्तु वह नहीं मिली। रिपोर्ट लिखकर उचित कार्यवाही करने का निवेदन किया गया।

4– वादिनी मुकदमा की तहरीर के आधार पर थाना मीरगंज जिला बरेली में मुकदमा अपराध संख्या–119/2016, अन्तर्गत धारा–363,366 भा0दं0सं0 के मामले अभियुक्तगण बब्लू व रामबेटी के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत की गयी।

5– विवेचक द्वारा प्रकरण की विवेचना की गयी तथा साक्ष्य संकलन करके मुकदमा अपराध संख्या–119/2016, अन्तर्गत धारा–363,366,376(2)एन भा0दं0सं0 एवं धारा 4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के मामले में अभियुक्त बब्लू के विरूद्व आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया है जिस पर पाक्सो न्यायालय द्वारा दिनांक 09.11.2016 को प्रसंज्ञान लिया गया।

6– प्रस्तुत प्रकरण माननीय जनपद न्यायाधीश, बरेली के स्थानांतरण आदेश दिनांकित 04.03.2020 के अनुसार इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

7– अभियुक्त बब्लू के न्यायालय में हाजिर होने पर उसके विद्वान अधिवक्ता की उपस्थिति में दिनॉक 30.05.2018 को उसके विरूद्व आरोप अन्तर्गत धारा 363,366,376(2)एन भा0दं0सं0 व धारा 4 पाक्सो अधिनियम के अधीन आरोप विरचित किया गया। अभियुक्त ने लगाये गये आरोप से इंकार करते हुए विचारण किये जाने की मॉग की।

8– अभियोजन की ओर से मौखिक साक्ष्य के रूप में पी0डब्लू–1 वादिनी मुकदमा, पी0डब्लू–2 पीड़िता, पी0डब्लू–3 विवेचक अवधेश कुमार व पी0डब्लू–4 भगवान दास को सशपथ परीक्षित कराया गया है। अभियोजन की ओर से अन्य साक्षीगण को उनके साक्ष्य से उन्मोचित किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसे स्वीकृत कर अन्य साक्षीगण को उनके साक्ष्य से उन्मोचित किया गया। उसके उपरांत अभियोजन साक्ष्य समाप्त किया गया है।

9– अभियोजन की तरफ से अभियोजन कथानक को साबित करने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में घटना की तहरीर प्रदर्श क–1, पीड़िता का बयान अन्तर्गत धारा 164 द0प्र0सं0 प्रदर्श क–2, नक्शा नजरी प्रदर्श क–3, आरोप पत्र प्रदर्श क–4, चिक एफ0आई0आर0 प्रदर्श क–5, जी0डी0 प्रदर्श क–6, पीड़िता का स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रदर्श क–7, एस0आर0 रजिस्टर प्रदर्श क–8 प्रस्तुत किये गये हैं।

10— अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की उपस्थिति में उसका बयान अन्तर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 दिनांक 09.05.2022 अंकित किया गया, जिसमें अभियुक्त ने अभियोजन कथानक को गलत बताया। पी0डब्लू—1 के बयान के सम्बन्ध में कहा है कि झूठी रिपोर्ट लिखायी है। पी0डब्लू—2 के बयान के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना कहा है। पी0डब्लू—3 के बयान के सम्बन्ध में कहा है कि गलत विवेचना कर आरोप पत्र गलत प्रेषित किया गया। पी0डब्लू—4 के बयान को गलत बताया है। मुकदमा झूठा चलना बताया तथा सफाई साक्ष्य देना कहते हुए कहा है कि मैं निर्दोष हूँ।

11— अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान विशेष लोक अभियोजक की बहस/तर्कों को सुना तथा पत्रावली व उस पर उपलब्ध दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य का सम्यक् परिशीलन किया।

12— न्यायालय को यह निर्णीत करना है कि क्या अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है?

13— अभियुक्त बब्लू पर यह आरोप है कि उसने दिनांक 07.04.2016 को समय दोपहर 12.00 बजे बहद स्थान ग्राम दिवना अन्तर्गत थानाक्षेत्र मीरगंज जिला बरेली में वादिनी मुकदमा की अवयस्क पुत्री/पीड़िता को बहला फुसलाकर उसके विधिक संरक्षक की संरक्षकता में से अयुक्त संभोग करने के लिए उसको व्यपहृत कर उसके साथ उसकी मर्जी के बिना बार—बार बलात्संग कर प्रवेशन लैंगिक हमला कारित किया।

14— अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त आरोपित अपराधों को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित होने के लिए निम्नलिखित <u>अवधार्य बिन्दुओं</u> पर न्याय निर्णयन दिया जाना विधिसंगत एवं समीचीन होगा—

1— क्या घटना की तिथि दिनांक 07.04.2016 को पीड़िता अवयस्क थी?

2— क्या अभियुक्त बब्लू द्वारा दिनांक 07.04.2016 को समय करीब 12.00 बजे दोपहर, स्थान ग्राम दिवना थाना मीरगंज बरेली से वादिनी मुकदमा की अवयस्क पुत्री/पीड़िता को बहला फुसलाकर उसकी इच्छा के विरूद्ध विवाह करने/अवैध संभोग करने के लिए अपहरण कर ले जाया गया, जो धारा 363,366 भा0द0सं0 के अन्तर्गत दण्डनीय है?

3— क्या अभियुक्त बब्लू द्वारा वादिनी मुकदमा की अवयस्क पुत्री/पीड़िता के साथ बार—बार बलात्संग कर प्रवेशन लैंगिक हमला कारित किया गया, जो धारा 376(2)एन भा0द0सं0 व धारा 4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अन्तर्गत दण्डनीय है?

21— प्रथम बिन्दु इस संबंध में है कि—**घटना की तिथि दिनांक 07.04.2016 को पीड़िता अवयस्क थी?**

15— प्रथम बिन्दु के सम्बन्ध में अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क

है कि पीड़िता घटना की तिथि पर बालिग थी। पीड़िता की आयु के सम्बन्ध में जो शैक्षणिक अभिलेख पत्रावली में दाखिल किये गये हैं वह कानूनी रूप से साबित नहीं कराये गये हैं। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस सम्बन्ध में यह भी तर्क दिया है कि वादिनी मुकदमा तथा उसके पति द्वारा थानाध्यक्ष मीरगंज को दिये गये शपथ पत्र तथा वादिनी व पीड़िता द्वारा न्यायालय में दाखिल शपथ पत्र में पीड़िता द्वारा स्वंय को घटना के दिनांक को बालिग बताया है। पीड़िता ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 164 द0प्र0सं0 में अपनी आयु 20 वर्ष होना बतायी है। न्यायायलय के समक्ष दिये गये बयानों में भी उसने स्वंय को बालिग होना बताया है। घटना के दिन पीड़िता बालिग थी। अतः पॉक्सो अधिनियम का अपराध अभियुक्त पर आकर्षित नहीं होता है।

16— इसके विपरीत विशेष लोक अभियोजक द्वारा यह तर्क दिया गया है कि पीड़िता घटना के समय नाबालिग थी, जिसके सम्बन्ध में पत्रावली में उसका स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रदर्श क—7 व एस0आर0 रजिस्टर प्रदर्श क—8 दाखिल किये गये हैं, जिनमें पीड़िता की जन्मतिथि 02.07.2000 उल्लिखित है। उपरोक्त प्रपत्रों को अभियोजन द्वारा साबित किया गया है जिसके आधार पर पीड़िता घटना के समय नाबालिग थी। अतः पाक्सो अधिनियम का अपराध अभियुक्त पर लागू होता है।

17— विधि व्यवस्था **ए0सी0सी0 (2013)7 पृष्ठ 263 जरनैल सिंह बनाम स्टेट आफ हरियाणा** दाखिल की गयी है जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अवधारित किया है कि किशोर या पीड़िता की उम्र का निर्धारण करते समय सर्वप्रथम हाई स्कूल के प्रमाण—पत्र, यदि हाई स्कूल का प्रमाण—पत्र नहीं है, तो उसकी अनुपस्थिति में स्कूल में प्रथम दाखिला का प्रमाण—पत्र देखा जायेगा। यह भी न होने की दशा में पंचायत या नगर निगम द्वारा निर्गत प्रमाण—पत्र देखा जायेगा। उपरोक्त सभी न होने की स्थिति में चिकित्सकीय साक्ष्य पर विश्वास किया जायेगा।

18— किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015 की धारा 94(2) के अंतर्गत किसी किशोर या पीड़िता का उम्र निर्धारण करते समय सर्वप्रथम स्कूल द्वारा निर्गत जन्म प्रमाण—पत्र या हाईस्कूल या समकक्ष प्रमाण—'पत्र, इसके न होने की दशा में किसी पंचायत, म्यूनिसिपल ऑथर्टी या निकाय द्वारा निर्गत जन्म प्रमाण—पत्र पर विश्वास किया जायेगा। उपरोक्त दोनों तरह के अभिलेख न होने की दशा मे किशोर या पीड़िता के उम्र निर्धारण के संबंध में आसीफिकेशन टैस्ट या चिकित्सकीय साक्ष्य पर विश्वास किया जायेगा।

19— पीड़िता की आयु को साबित करने हेतु अभियोजन की ओर से पी0डब्लू—4 के रूप में भगवानदास कार्यवाहक प्रधानाचार्य अतुल पब्लिक स्कूल दिवना थाना मीरगंज बरेली को सशपथ परीक्षित कराया गया है। उक्त साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि मु0अ0सं0—119/2016 अन्तर्गत धारा 363 366 भा0द0सं0 बनाम बब्लू आदि से सम्बन्धित पीड़िता ने इस विद्यालय से कक्षा पॉच तक शिक्षा प्राप्त की है। मूल रजिस्टर व टी0सी0 साथ लाया है। उक्त दोनों

प्रपत्रों के अनुसार पीड़िता की जन्मतिथि 02.07.2000 अंकित है। साक्षी ने स्थानांतरण प्रमाण पत्र की प्रति को प्रदर्श क–7 व एस0आर0 रजिस्टर की छायाप्रति को प्रदर्श क–8 के रूप में साबित किया है। साक्षी से प्रतिपरीक्षा किये जाने पर साक्षी ने कथन किया कि उसका स्कूल प्राईवेट है। पीड़िता का दाखिला कराने उसकी मॉ आयी थी और पीड़िता के जन्मतिथि के सम्बन्ध में कोई जन्म प्रमाण पत्र अथवा शपथ पत्र नहीं दिया था। अभिभावक के मौखिक बताने पर उसकी जन्मतिथि अंकित की गयी थी, उसने विवेचक को पीड़िता का प्रमाण पत्र दिया था।

20– जहॉ तक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क का प्रश्न है कि वादिनी मुकदमा तथा उसके पति द्वारा थानाध्यक्ष मीरगंज बरेली को दिये गये शपथ पत्र तथा वादिनी मुकदमा व पीड़िता द्वारा न्यायालय में दाखिल शपथ पत्र में पीड़िता को घटना के दिनांक को बालिग बताया गया है, इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि उपरोक्त समस्त प्रपत्र बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र 17.05.2022 के माध्यम से न्यायालय में दाखिल किये गये हैं तथा उक्त प्रपत्र छायाप्रतियॉ हैं, जिनको विधितः साबित नहीं कराया गया हैं। तद्नुसार उपरोक्त प्रपत्र बतौर साक्ष्य ग्राह्य नहीं है। फिर भी यदि उपरोक्त प्रपत्रों को साक्ष्य में पठनीय मान भी लिया जाये तो ऐसी दशा में वादिनी मुकदमा जो कि न्यायालय में पी0डब्लू–1 के रूप में परीक्षित हुयी हैं, ने अपनी प्रतिपरीक्षा में स्पष्ट रूप से यह अभिकथन किया है कि उसने विवेचना के दौरान थानाध्यक्ष मीरगंज को पीड़िता की आयु के सम्बन्ध में शपथ पत्र दिया है जिसमें पीड़िता की आयु 19 वर्ष लिखायी थी, यह बात उससे बब्लू ने लिखायी थी, जिस समय शपथ पत्र दिया था, उस समय बब्लू उसके साथ आया था। उसने कोर्ट में कोई शपथ पत्र नहीं दिया था, इन्हीं लोगों ने बनवाया था। न्यायालय में जो शपथ पत्र है, उस उसके हस्ताक्षर है, लेकिन वह उसने नहीं लिखवाया है। वादिनी मुकदमा के उपरोक्त बयान बतौर पी0डब्लू–1 के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि उसके द्वारा पीड़िता की घटना के दिनांक को आयु के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का शपथ पत्र किसी सक्षम अधिकारी के समक्ष दिये जाने से पूर्णतः खंडन किया है। अतः इस न्यायालय के मत में अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दाखिल उपरोक्त प्रपत्र उपरोक्त तथ्यों के आलोक में पीड़िता के आयु निर्धारण के बावत कोई भी प्रभाव नहीं रखते हैं।

21– **उपरोक्त सम्पूर्ण मौखिक और अभिलेखीय साक्ष्यों के विश्लेषण उपरान्त न्यायालय इस निष्कर्ष पर है कि अभियोजन पक्ष पीड़िता की उम्र निर्धारण के बावत उसके शैक्षणिक अभिलेख को विधितः प्रदर्श क–7 व प्रदर्श क–8 के रूप में साबित कराया है तथा पीड़िता के उपरोक्त शैक्षणिक अभिलेखों में पीड़िता की उल्लिखित जन्मतिथि दिनांक 02.07.2000 होना तथा उक्त अभिलेखों में पीड़िता की जन्मतिथि की उपरोक्त उल्लिखित प्रविष्टि के आधार को भी मौखिक साक्ष्यों और अभिलेखीय साक्ष्यों से साबित किया है। पीड़िता की उम्र निर्धारण के बावत अभियोजन पक्ष द्वारा विधितः साबित कराये गये उपरोक्त शैक्षणिक**

<u>अभिलेख और उनमें उल्लिखित पीड़िता की जन्मतिथि पूर्णतः विश्वसनीय है। बचाव पक्ष द्वारा उपरोक्त अभिलेखों की वास्तविकता के संदेहपूर्ण होने के संबंध में कोई भी अभिलेखीय या मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जा सका है। चूँकि पीड़िता की उम्र निर्धारण के बावत अभियोजन पक्ष द्वारा साबित कराये गये उपरौक्त शैक्षणिक अभिलेख विश्वास योग्य हैं और वास्तविक हैं, अतः किशोर न्याय नियमावली के प्रावधान तथा विधि व्यवस्था जरनैल सिंह में प्रतिपादित सिद्धान्तो के दृष्टिगत उक्त शैक्षणिक अभिलेखों में पीड़िता की उल्लिखित जन्मतिथि पर विश्वास किया जायेगा। अतः उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि घटना के समय पीड़िता की आयु लगभग 15 वर्ष 9 माह 5 दिन थी और वह अवयस्क थी। अभियोजन पक्ष अवधार्य बिन्दु सं0–1 सकारात्मक रूप से अभियुक्त के विरूद्ध साबित करने में सफल रहा है।</u>

22– अवधार्य बिन्दु सं0–2 इस सम्बन्ध में है कि–**क्या अभियुक्त बब्लू द्वारा दिनांक 07.04.2016 को समय करीब 12.00 बजे दोपहर, स्थान ग्राम दिवना थाना मीरगंज बरेली से वादिनी मुकदमा की अवयस्क पुत्री/पीड़िता को बहला फुसलाकर उसकी इच्छा के विरूद्ध विवाह करने/अवैध संभोग करने के लिए अपहरण कर ले जाया गया, जो धारा 363,366 भा0द0सं0 के अन्तर्गत दण्डनीय है?**

23– प्रस्तुत प्रकरण में किसी निष्कर्ष पर पहुॅचने के लिए सर्वप्रथम उपरोक्त अपराध से सम्बन्धित विधिक प्रावधानों का उल्लेख किया जाना समीचीन है।

24– **<u>धारा 363 भा0दं0सं0 के अंतर्गत व्यपहरण के लिए दण्ड का उपबन्ध इस प्रकार है</u>** <u>''जो कोई भारत में से या विधि पूर्ण संरक्षकता में से किसी व्यक्ति का व्यपहरण करेगा, वह दोनों में से किसी भॉति के कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।</u> ''

25– **विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण को धारा 361 भा0दं0सं0 में इस प्रकार से परिभाषित किया गया है–**''जो कोई किसी अप्राप्तवय को, यदि वह नर हो, तो 16 वर्ष से कम आयु वाले को, या यदि वह नारी हो, तो 18 वर्ष से कम आयु वाली को या किसी विकृतचित्त व्यक्ति को, ऐसे अप्राप्तवय या विकृतचित्त व्यक्ति के विधिपूर्ण संरक्षक की संरक्षकता में से ऐसे संरक्षक की सम्मति के बिना ले जाता है या बहका ले जाता है, वह ऐसे अप्राप्तवय या ऐसे व्यक्ति का विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण करता है, यह कहा जाता है।

26– उपरोक्त प्रावधान के परिशीलन से स्पष्ट है कि धारा 363 भा0द0सं0 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध को साबित करने हेतु निम्नलिखित तीन अव्यय साबित करना आवश्यक है–

क– किसी व्यक्ति द्वारा बहलाकर या आपराधिक बल प्रयोग कर अवयस्क विकृतचित्त वाले को ले जाये।

ख— यह ले जाया जाने का उद्देश्य उस अवयस्क अथवा विकृतचित्त वाले व्यक्ति को विधिक संरक्षकता से दूर करना हो।

ग— अवयस्क की आयु, यदि वह नर हो, तो 16 वर्ष से कम हो, यदि वह नारी हो, तो 18 वर्ष से कम हो।

ग— ऐसा ले जाया जाना विधिक संरक्षक की अनुमति के बिना होना चाहिए।

27— **धारा 366 भा0दं0सं0 के अंतर्गत विवाह आदि करने को विवश करने के लिए किसी स्त्री को व्यपहृत करना, अपहृत करना या उत्प्रेरित करने को दण्डनीय बनाया गया है। धारा 366 भा0दं0सं0 के अंतर्गत यह उपबन्ध है कि—** ''जो कोई किसी स्त्री का व्यपहरण या अपहरण उसकी इच्छा के विरूद्ध किसी व्यक्ति से विवाह करने के लिए उस स्त्री को विवश करने के आशय से या वह विवश की जायेगी, यह सम्भाव्य जानते हुए अथवा अयुक्त संभोग करने के लिए उस स्त्री को विवश या विलुब्ध करने के लिए या वह स्त्री अयुक्त संभोग करने के लिए विवश या विलुब्ध की जायेगी, यह सम्भाव्य जानते हुए करेगा, वह दोनो में से किसी भॉति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

28— अभियोजन की ओर से सम्पूर्ण कथानक को साबित करने हेतु पी0डब्लू—1 वादिनी मुकदमा, पी0डब्लू—2 पीड़िता, पी0डब्लू—3 विवेचक/एस0आई0 अवधेश कुमार को सशपथ परीक्षित कराया गया है। इस सम्बन्ध में सर्वप्रथम औपचारिक साक्षीगण के साक्ष्य का विश्लेषण किया जाना न्यायोचित है।

29— अभियोजन की ओर से पी0डब्लू—3 के रूप में विवेचक/एस0आई0 अवधेश कुमार को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी ने अपनी मुख्यपरीक्षा में कथन किया है कि वह दिनांक 07.04.16 को थाना मीरगंज बरेली में बतौर उपनिरीक्षक तैनात था। उस दिन मु0अ0सं0 119/16 की विवेचना उसे प्राप्त हुयी थी। विवेचना ग्रहण करने के पश्चात उसने सी0डी0 के पर्चा नंबर एक किता किया जिसमें नकल तहरीर हिन्दी नकल रपट व बयान लेखक के अंकित किये। दिनांक 12.0416 को सी0डी0 का पर्चा नंबर दो किता कर वादिनी की निशादेही पर घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी बनाया, जिसे प्रदर्श क—3 के रूप में साबित किया है। सी0डी का पर्चा नंबर ग्यारह किता का पीड़िता को बरामद किया गया और उसमें 6 माह की गर्भवती होना पाया गया तथा मेडिकल रिपोर्ट की नकल की गयी तथा प्रधानाचार्य के बयान अंकित किये गये। दिनांक 07.10.16 को सी0डी0 का पर्चा 14 किता किया, जिसमें पीड़िता द्वारा बब्लू से मंदिर में शादी करना तथा सात माह की गर्भवती होना बताया। दिनांक 13.10.16 को अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया तथा पीड़िता को सी0डब्लू0सी0 के माध्यम से पीड़िता को उसके माता—पिता की सुपुर्दगी में किया गया। दिनांक 14.10.16 को रामबेटी की नामजदगी गलत पायी गयी तथा स्वतंत्र साक्षी के बयान अंकित किये गये। तमामी विवेचना बयान वादी व पीड़िता व अन्य अभिलेखों के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र सं0—208/16 अपने

हस्तलेख में दाखिल किया गया, जिसे प्रदर्श क–4 के रूप में साबित किया है। साक्षी द्वारा द्वितीयक साक्ष्य के रूप में चिक लेखक विशाल यादव के हस्तलेख में चिक एफ0आई0आर0 व जी0डी का होना साबित किया है, जिन्हें प्रदर्श क–5 व प्रदर्श क–6 के रूप में साबित किया है।

30– साक्षी ने प्रतिपरीक्षा किये जाने पर साक्षी ने कथन किया है कि उसने वादी मुकदमा का बयान उसके घर पर महिला कां0 के साथ जाकर लिया था। घ टनास्थल का निरीक्षण उसने वादिनी की निशानदेही पर किया था। वादी मुकदमा ने थाने पर पीड़िता की आयु कम करके लिखने सम्बन्धी कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया था।

31– **पी0डब्लू0–3 विवेचक/उपनिरीक्षक अवधेश कुमार के द्वारा अपने मुख्य परीक्षा और प्रतिपरीक्षा में किये गये उपरोक्त विश्लेषण से यह प्रकट है कि उसने प्रस्तुत प्रकरण की विवेचना निष्पादित की। दिनॉक 04.10.2016 को पीड़िता को बरामद किया तथा उसे सात माह की गर्भवती होना पाया गया। अभियुक्त को दिनांक 13.10.16 को गिरफ्तार किया गया। विवेचक द्वारा पीड़िता की उम्र निर्धारण के बावत उसके शैक्षणिक अभिलेख संकलित किये गये और उसका सत्यापन कराया गया। तदोपरान्त पीड़िता की आयु लगभग पौन 16 वर्ष पाये जाने पर अर्थात् पीड़िता को अवयस्क पाये जाने पर अभियुक्त बब्लू के विरूद्ध आरोप–पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।**

32– अभियोजन कथानक को साबित करने हेतु तथ्य के दो साक्षीगण को परीक्षित कराया गया है, जिनके साक्ष्य का विश्लेषण किया जाना अत्यन्त तात्विक व महत्वपूर्ण है।

33– अभियोजन की ओर से पी0डब्लू–1 के रूप में वादिनी मुकदमा को सशपथ परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी ने अपनी मुख्यपरीक्षा में कथन किया है कि आज से पौने तीन वर्ष पूर्व दिनांक 07.04.2016 की बात है। दोपहर बारह बजे उसके दामाद महेन्द्र सिंह के ममेरे भाई बब्लू व उनकी मॉ रामबेटी उसके घर आये और इससे पहले भी दामाद के रिश्तेदार होने की वजह से आते रहते थे। उसने इन लोगों की आऔ भगत की और **उसी दिन उसकी नाबालिग पुत्री/पीड़िता को बब्लू व रामबेटी मीरगंज से सामान खरीदने को ले गये, जिन्हें सामान खरीदते हुए गांव के रजत व वीरपाल ने देखा था।** शाम को पीड़िता घर वापस नहीं आयी और बब्लू व उसकी मॉ भी वापस नहीं आयी, तो उसने बब्लू के फोन पर कई बार फोन लगाया, तो बब्लू ने कोई जबाव नहीं दिया। उसके बाद दामाद के साथ बब्लू के घर लड़की को देखने गयी, तो लड़की नहीं मिली। इधर–उधर तलाश किया, तो लड़की नहीं मिली, तब उसने घटना की तहरीर मीरगंज थाने में दी और मुकदमा लिखाया। गवाह को शामिल पत्रावली तहरीर दिखायी व पढ़कर सुनायी गयी, जिसे देख व सुनकर गवाह ने कहा कि यह वही तहरीर है जो उसने थाने पर दी, जिस पर उसके हस्ताक्षर है, जिस पर प्रदर्श क–1

डाला गया। दारोगा जी ने उसका बयान लिया था।

34— बचाव पक्ष द्वारा साक्षी से प्रतिपरीक्षा किये जाने पर साक्षी ने कथन किया कि बब्लू उसका पहले से रिश्तेदार लगता है तथा उसके दामाद का ममेरा भाई है। दारोगा जी ने उसका बयान लिया था। तहरीर उसने खुद लिखकर थाने पर दी थी, वह कक्षा दस तक पढ़ी है। यह बात सही है कि उसकी पुत्री/पीड़िता बब्लू के घर एक—डेढ वर्ष रही थी, बब्लू ने उसकी पुत्री/पीड़िता के साथ मारपीट की थी। इस स्तर पर यह उल्लेखनीय है कि अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा वादिनी मुकदमा से पीड़िता के अपहरण के सम्बन्ध में अन्य कोई प्रश्न नहीं किया गया।

35— साक्षी वादिनी मुकदमा है तथा पीड़िता की सगी मॉ है। पी0डब्लू—1 वादिनी मुकदमा के द्वारा अपने शपथपूर्वक मुख्य परीक्षा और प्रतिपरीक्षा में किये गये उपरोक्त कथनों के विश्लेषण से यह प्रकट है कि उसके दामाद महेन्द्र सिंह के ममेरे भाई बब्लू व उनकी मॉ रामबेटी उसके घर आये। उसी दिन उसकी नाबालिग पुत्री/पीड़िता को बब्लू व रामबेटी मीरगंज से सामान खरीदने को ले गये, जिन्हें सामान खरीदते हुए गांव के रजत व वीरपाल ने देखा था। शाम को पीड़िता घर वापस नहीं आयी और बब्लू व उसकी मॉ भी वापस नहीं आये, तो उसने बब्लू के फोन पर कई बार फोन लगाया, तो बब्लू ने कोई जबाव नहीं दिया। वादिनी मुकदमा के उपरोक्त बयान के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त द्वारा पीड़िता को जबरदस्ती या प्रलोभन देकर वादिनी मुकदमा या उसके पति के विधिक संरक्षण से दूर करके नहीं ले जाया गया, अपितु पीड़िता वादिनी मुकदमा की अनुमति से अपने घर से अभियुक्त के साथ गयी थी। अतः ऐसी दशा में यह देखने के लिए कि क्या अभियुक्त द्वारा आपराधिक आशय के साथ पीड़िता का अपहरण किया गया था, पीड़िता का बयान प्रासंगिक हो जाता है।

36— अभियोजन की ओर से पी0डब्लू—2 के रूप में पीड़िता को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी ने अपनी मुख्यपरीक्षा में कथन किया है कि घटना आज से करीब छः वर्ष पूर्व की है, उस समय वह कक्षा आठ में अतुल पब्लिक स्कूल में पढ़ती थी। मुकदमे का अभियुक्त उसका दूर का रिश्तेदार है। पीड़िता का बयान न्यायालय में हुआ था। पीड़िता ने बयान अन्तर्गत धारा 164 द0प्र0सं0 देखकर कहा कि यह वही बयान है जो उसने न्यायालय में स्वेच्छया से दिया था, जिस पर उसका फोटो चस्पा है तथा निशानी अंगूठा हैं, जिस पर प्रदर्श क—2 डाला गया। उसने विवेचक को यही बयान दिया था, उस समय वह लगभग 16 वर्ष की थी।

37— साक्षी से प्रतिपरीक्षा किये जाने पर साक्षी ने कथन किया कि उसका रिश्ता बब्लू से तय हुआ था। मुल्जिम उसे बहलाफुसलाकर नहीं ले गया था वह अपनी मर्जी से उसके साथ गयी थी। वह पढ़ी—लिखी है, रिपोर्ट उसकी मॉ ने लिखायी थी। वह इस समय बब्लू के साथ सतईया में रहती है। उसकी मॉ ने उम्र कम लिखा दी थी, जबकि उसकी उम्र 19 वर्ष थी। उसने न्यायालय में जो बयान दिया था वह अपनी मर्जी से दिया था और आज भी वह अपनी मर्जी से बयान दे

रही है। अभियुक्त उसका पति नहीं है।

38— पी0डब्लू0—2 पीड़िता ने अपने बयान अंतर्गत धारा 161 दं0प्र0सं0 में यह कथन भी किया है कि उसकी बब्लू से शादी की बात चल रही थी, परन्तु किन्हीं कारणों से दोनो परिवारों में मनमुटाव हो गया, परन्तु वह बब्लू से प्यार करने लगी थी। वह दिनांक 07.04.2016 को अपनी मर्जी से चली गयी और उसने बब्लू से शादी कर ली , तब से वह दोनों पति—पत्नी के रूप में चण्डीगढ़ रहे थे तथा वह छः माह की गर्भवती है।

39— पीड़िता ने अपने बयान अंतर्गत धारा 164 दं0प्र0सं0 में यह कथन किया है कि वह बब्लू के साथ अपनी मर्जी से भागी थी और हमने मंदिर में शादी कर ली है। वह बब्लू से ही सात माह की गर्भवती है। उसे किसी ने बहलाया फुसलाया व भगाया नहीं था।

40— पीड़िता के उपरोक्त बयान अन्तर्गत धारा 161 द0प्र0सं0, 164 द0प्र0सं0 व न्यायालय के समक्ष विचारण के दौरान दिये गये सशपथ बयान में स्पष्ट रूप से इस तथ्य का उल्लेख किया है कि वह अपनी इच्छा से अभियुक्त बब्लू के साथ घर से गयी थी तथा अभियुक्त का पीड़िता के अपहरण में किसी भी प्रकार से न तो आपराधिक बल का प्रयोग किया गया और न ही उसे प्रलोभन दिया गया था। जैसा कि पूर्व में धारा 363 व 366 भा0द0सं0 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के अव्ययों में उल्लिखित किया जा चुका है कि किसी भी अभियुक्त को धारा 363 व 366 भा0द0सं0 के अन्तर्गत तभी दोषसिद्ध किया जा सकता है, जब अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह साबित कर पाने में सफल हो कि अभियुक्त द्वारा पीड़िता को साशय उसके माता—पिता के विधिक संरक्षण से बिना सम्मति के दूर ले जाया जाये तथा उसका ऐसा करने का आशय बिना पीड़िता की सहमति के विवाह करना अथवा अवैध संभोग करना हो। चूंकि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह साबित कर पाने में असफल रहा है कि पीड़िता को अभियुक्त द्वारा साशय उसके माता—पिता के विधिक संरक्षण में से दूर किया गया है, अतः ऐसी दशा में इस तथ्य का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है कि अभियुक्त द्वारा उक्त आचरण विवाह करने अथवा अवैध संभोग करने के आशय से किया गया हो।

41— विधि व्यवस्था **Jai Narayan vs State of Haryana, 71 Punjab LR 688** में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अवधारित किया है कि "under Section 361, I.P.C., which defines kidnapping any person who takes or entices a minor under the age of eighteen if a female out of the keeping of lawful guardian of such minor without the consent of such guardian commits kidnapping. The word "take" implies want of wish and absence of desire of the person taken. Thus, where the prosecutrix leaves her father's house at midnight of her free will and the accused does not go to her house, does not persuade her and bring her from there no kidnapping takes place and the accused cannot be convicted."

42— विधि व्यवस्था **Deep Chand vs State 2001 CrLJ 463**

(Del) में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह अवधारित किया है कि "the accused was alleged to have kidnapped two girls of 17 years of age from lawful guardianship but girls had categorically stated that they had gone voluntarily and there was no proof of any promise, persuasion, inducement or allurement from the accused who in fact was persuaded by victims to take them for outing. It was held that the accused was entitled to acquittal."

43— उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि धारा 363 व 366 भा0द0सं0 के अन्तर्गत दोषसिद्ध किये जाने हेतु पीड़िता का आचरण व अभियुक्त का साशय आचरण एक सारवान विचारणीय बिन्दु है। प्रस्तुत प्रकरण में पीड़िता द्वारा कहीं भी इस तथ्य का उल्लेख नहीं किया गया है कि अभियुक्त द्वारा आपराधिक बल से अथवा प्रलोभन देकर उसे, उसके घर से ले जाया गया था तथा पत्रावली पर ऐसा कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जो कि इस तथ्य की ओर इंगित करता हो कि अभियुक्त बब्लू द्वारा दुराशय (Mensrea) के साथ पीड़िता का अपहरण किया हो।

44— अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों, विधि व्यवस्था व विधि के प्रावधानों के आलोक में यह न्यायाल इस मत की है कि प्रस्तुत प्रकरण में पीड़िता अपनी इच्छा से अभियुक्त के साथ अपने घर से गयी थी तथा अभियोजन न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत कर पाने में असफल रहा है कि जिससे यह स्पष्ट हो सके कि अभियुक्त बब्लू द्वारा साशय पीड़िता को उसके माता–पिता के विधिक संरक्षण से अपराध कारित करने के आशय से दूर ले जाया गया था, जो कि धारा 363 भा0द0सं0 व धारा 366 भा0दं0स0 के अन्तर्गत दण्डनीय है। तद्नुसार प्रस्तुत अवधार्य बिन्दु सं0–2 नकारात्मक रूप से अभियुक्त के पक्ष में निस्तारित किया जाता है।

45— अवधार्य बिन्दु सं0–3 इस सम्बन्ध में है कि–**क्या अभियुक्त बब्लू द्वारा वादिनी मुकदमा की अवयस्क पुत्री/पीडिता के साथ बार–बार बलात्संग कर प्रवेशन लैंगिक हमला कारित किया गया, जो धारा 376(2)एन भा0द0सं0 व धारा 4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अन्तर्गत दण्डनीय है?**

46— प्रस्तुत प्रकरण में किसी निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए सर्वप्रथम उपरोक्त अपराध से सम्बन्धित विधिक प्रावधानों का उल्लेख किया जाना समीचीन है।

47— **धारा 376 भा0दं0सं0 के अंतर्गत बलात्संग के लिए दण्ड का प्रावधान उपबन्धित है कि** *(1) जो कोई, उपधारा (2) में उपबंधित मामलों के सिवाय, बलात्संग करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कठोर कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो आजीवन कारावास तक हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।* **बलात्संग को धारा 375 भा0दं0सं0 के अंतर्गत इसप्रकार परिभाषित किया गया है–"यदि कोई पुरूष–**

(क) किसी स्त्री की योनि, उसके मुँह, मूत्रमार्ग या गुदा में अपना लिंग किसी भी सीमा तक प्रवेश करता है या उससे ऐसा अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ कराता है, या

(ख) किसी स्त्री की योनि, मूत्र मार्ग या गुदा में ऐसी कोई वस्तु या शरीर का कोई भाग, जो लिंग न हो, किसी भी सीमा तक अनुप्रविष्ट करता है या उससे ऐसा अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ कराता है, या

(ग) किसी स्त्री के शरीर के किसी भाग का इस प्रकार हस्तसाधन करता है जिससे कि उस स्त्री की योनि, गुदा, मूत्रमार्ग या शरीर के किसी भाग में प्रवेशन कारित किया जा सके या उससे ऐसा अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ कराता है, या

(घ) किसी स्त्री की योनि, गुदा, मूत्रमार्ग पर अपना मुँह लगाता है या उससे ऐसा अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ कराता है, तो उसके बारे में यह कहा जाएगा कि उसने बलात्संग किया है, जहॉ ऐसा निम्नलिखित सात भॉति की परिस्थितियों में से किसी के अधीन किया जाता है–

पहला– उस स्त्री की इच्छा के विरूद्ध।

दूसरा– उस स्त्री की सम्मति के बिना।

तीसरा– उस स्त्री की सम्मति से, जब उसकी सम्मति उसे या ऐसे किसी व्यक्ति को, जिससे वह हितबद्ध है, मृत्यु या उपहति के भय में डालकर अभिप्राप्त की गई है।

चौथा– उस स्त्री की सम्मति से, जब कि वह पुरूष यह जानता है कि वह उसका पति नहीं है और उसने सम्मति इस कारण दी है कि वह यह विश्वास करती है कि वह ऐसा अन्य पुरूष है जिससे वह विधिपूर्वक विवाहित है या विवाहित होने का विश्वास करती है।

पॉचवा– उस स्त्री की सम्मति से, जब ऐसी सम्मति देने के समय, वह विकृतचित्तता या मत्ता के कारण या उस पुरूष द्वारा व्यक्तिगत रूप से या किसी अन्य के माध्यम से कोई संज्ञाशून्यकारी या अस्वास्थ्यकर पदार्थ दिए जाने के कारण, उस बात की जिसके बारे में वह सम्मति देती है, प्रकृति और परिणामों को समझने में असमर्थ है।

छठवॉ– उस स्त्री की सम्मति से या उसके बिना, जब वह सोलह वर्ष से कम आयु की है।

सातवॉ– जब वह स्त्री सम्मति संसूचित करने में असमर्थ है।

48– **धारा 4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत यह उपबन्ध है कि** जो कोई प्रवेशन लैंगिक हमला कारित करेगा वह दोनों में से किसी भॉति के कारावास से जिसकी अवधि सात वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा। **प्रवेशन लैंगिक हमला को धारा 3 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत इस प्रकार परिभाषित**

किया गया है–'' कोई व्यक्ति' प्रवेंशन लैंगिक हमला करता है, यदि वह–

(क) यदि वह अपना लिंग किसी भी सीमा तक किसी बालक की योनि, मुँह, मूत्र मार्ग या गुदा में प्रवेश करता है या बालक से उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है, या

(ख) किसी वस्तु या शरीर के किसी ऐसे भाग को, जो लिंग नहीं है, किसी सीमा तक बालक की योनि, मूत्र मार्ग या गुदा में घुसेड़ता है या बालक से उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है, या

(ग) बालक के शरीर के किसी भाग के साथ ऐसा अभिचालन करता है जिससे कि वह बालक की योनि, मूत्र मार्ग या गुदा में या बालक के शरीर के किसी भाग में प्रवेश कर सके या बालक से उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है, या

(घ) बालक के लिंग, योनि, गुदा या मूत्र मार्ग पर मुँह लगाता है या ऐसे व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति के साथ बालक से ऐसा करवाता है।

49– अभियोजन की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा यह अभिकथन किया गया है कि पीड़िता द्वारा स्पष्ट रूप से अपने बयानों में इस तथ्य का उल्लेख किया है कि उसके तथा अभियुक्त बब्लू के मध्य सम्बन्ध स्थापित हुए थे, चूंकि यह भी स्थापित है कि पीड़िता के घटना के दिनांक को अवयस्क थी, अतः ऐसी दशा में उसके तथा अभियुक्त के मध्य जो सम्बन्ध स्थापित हुए वह बलात्कार की श्रेणी में आते हैं।

50– उपरोक्त के आलोक में अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह अभिकथन किया गया कि पीड़िता व अभियुक्त बब्लू की शादी हुई थी तथा इस शादी के संसर्ग से दोनों को बच्चा भी हुआ था एवं पीड़िता व अभियुक्त बालिग थे, ऐसी दशा में पीड़िता व अभियुक्त के मध्य जो सम्बन्ध स्थापित हुए हैं वह पति–पत्नी के थे, जो बलात्कार की श्रेणी में नहीं आते हैं।

51– अभियोजन द्वारा अपने कथानक के समर्थन में पी0डब्लू–1 के रूप में वादिनी मुकदमा को सशपथ परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी ने अपनी मुख्यपरीक्षा में कथन किया है कि आज से पौने तीन वर्ष पूर्व दिनांक 07.04.2016 की बात है। दोपहर बारह बजे उसके दामाद महेन्द्र सिंह के ममेरे भाई बब्लू व उनकी मॉ रामबेटी उसके घर आये और इससे पहले भी दामाद के रिश्तेदार होने की वजह से आते रहते थे। उसने इन लोगों की आओ भगत की और **उसी दिन उसकी नाबालिग पुत्री/पीड़िता को बब्लू व रामबेटी मीरगंज से सामान खरीदने को ले गये, जिन्हें सामान खरीदते हुए गांव के रजत व वीरपाल ने देखा था।** शाम को पीड़िता घर वापस नहीं आयी और बब्लू व उसकी मॉ भी वापस नहीं आयी, तो उसने बब्लू के फोन पर कई बार फोन लगाया, तो बब्लू ने कोई जबाव नहीं दिया। उसके बाद दामाद के साथ बब्लू के घर लड़की को देखने गयी, तो लड़की नहीं मिली। इधर–उधर तलाश किया, तो लड़की नहीं मिली, तब उसने घ टना की तहरीर मीरगंज थाने में दी और मुकदमा लिखाया। गवाह को शामिल

पत्रावली तहरीर दिखायी व पढ़कर सुनायी गयी, जिसे देख व सुनकर गवाह ने कहा कि यह वही तहरीर है जो उसने थाने पर दी, जिस पर उसके हस्ताक्षर है, जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया। दारोगा जी ने उसका बयान लिया था।

52— बचाव पक्ष द्वारा साक्षी से प्रतिपरीक्षा किये जाने पर साक्षी ने कथन किया कि बब्लू उसका पहले से रिश्तेदार लगता है तथा उसके दामाद का ममेरा भाई है। **उसने अपनी पुत्री/पीड़िता का रिश्ता बब्लू के साथ तय नहीं किया था।** बब्लू जेल गया तो उसकी पुत्री/पीड़िता उसके साथ रही थी और जब वह जेल से छूटकर आया तो उस समय भी उसकी पुत्री/पीड़िता उसके घर पर थी। **उसने अपनी पुत्री/पीड़िता की शादी बब्लू के साथ नहीं की थी, उसकी पुत्री/पीड़िता पर एक बच्चा है, जो बब्लू के संसर्ग से है, जो बब्लू के पास है। उसने अपनी पुत्री/पीड़िता की शादी दूसरी जगह कर दी।** बब्लू से उसकी पुत्री/पीड़िता की कोई शादी नहीं हुयी। दारोगा जी ने उसका बयान लिया था। तहरीर उसने खुद लिखकर थाने पर दी थी, वह कक्षा दस तक पढ़ी है। यह बात सही है कि उसकी पुत्री/पीड़िता बब्लू के घर एक–डेढ वर्ष रही थी, बब्लू ने उसकी पुत्री/पीड़िता के साथ मारपीट की थी।

53— साक्षी वादिनी मुकदमा है तथा पीड़िता की सगी मॉ है। पी0डब्लू–1 वादिनी मुकदमा के द्वारा अपने शपथपूर्वक मुख्य परीक्षा और प्रतिपरीक्षा में किये गये उपरोक्त कथनों के विश्लेषण से यह प्रकट है कि उसने अपनी पुत्री/पीड़िता की शादी बब्लू के साथ नहीं की थी, उसकी पुत्री/पीड़िता पर एक बच्चा है, जो बब्लू के संसर्ग से है, जो बब्लू के पास है। उसने अपनी पुत्री/पीड़िता की शादी दूसरी जगह कर दी। साक्षी के बयाने से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त बब्लू द्वारा उसकी अवयस्क पुत्री/पीड़िता के साथ बलात्संग कर प्रवेशन लैंगिक हमला कारित किया गया है, जिससे पीड़िता के बब्लू से एक बच्चा है। साक्षी ने थाने पर दी गयी तहरीर को प्रदर्श क–1 के रूप में साबित किया है। साक्षी का बयान घटना के सम्बन्ध में पूर्णतया विश्वसनीय साक्ष्य की श्रेणी में है।

54— अभियोजन की ओर से पी0डब्लू–2 के रूप में पीड़िता को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी ने अपनी मुख्यपरीक्षा में कथन किया है कि घटना आज से करीब छः वर्ष पूर्व की है, उस समय वह कक्षा आठ में अतुल पब्लिक स्कूल में पढ़ती थी। मुकदमे का अभियुक्त उसका दूर का रिश्तेदार है। **उसने बब्लू से अपनी मर्जी से शादी की थी तथा वह बब्लू से प्यार करती थी। उसने बब्लू से शादी अलखनाथ मंदिर में करती थी और शादी करके चण्डीगढ़ चले गये, वहॉ पति–पत्नी के रूप में रहे। वहॉ से उसे व बब्लू को पुलिस पकड़ लायी, उस समय वह छः माह की गर्भवती थी।** पीड़िता का बयान न्यायालय में हुआ था। पीड़िता ने बयान अन्तर्गत धारा 164 द0प्र0सं0 देखकर कहा कि यह वही बयान है जो उसने न्यायालय में स्वेच्छया से दिया था, जिस पर उसका फोटो चस्पा है तथा निशानी अंगूठा हैं, जिस पर प्रदर्श क–2 डाला गया। उसने विवेचक को यही बयान दिया था, उस समय वह लगभग 16 वर्ष की थी।

55– साक्षी से प्रतिपरीक्षा किये जाने पर साक्षी ने कथन किया कि उसका रिश्ता बब्लू से तय हुआ था। मुल्जिम उसे बहलाफुसलाकर नहीं ले गया था वह अपनी मर्जी से उसके साथ गयी थी। वह पढ़ी–लिखी है, रिपोर्ट उसकी मॉ ने लिखायी थी। वह इस समय बब्लू के साथ सतईया में रहती है। उसकी मॉ ने उम्र कम लिखा दी थी, जबकि उसकी उम्र 19 वर्ष थी। उसने न्यायालय में जो बयान दिया था वह अपनी मर्जी से दिया था और आज भी वह अपनी मर्जी से बयान दे रही है। **अभियुक्त उसका पति नहीं है।**

56– दौरान विवेचना पी0डब्लू0–2 पीड़िता ने अपने बयान अंतर्गत धारा 161 दं0प्र0सं0 में यह कथन भी किया है कि उसकी बब्लू से शादी की बात चल रही थी, परन्तु किन्हीं कारणों से दोनो परिवारों में मनमुटाव हो गया, परन्तु वह बब्लू से प्यार करने लगी थी। वह दिनांक 07.04.2016 को अपनी मर्जी से चली गयी और उसने बब्लू से शादी कर ली , तब से वह दोनों पति–पत्नी के रूप में चण्डीगढ़ रहे थे तथा वह छः माह की गर्भवती है।

57– दौरान विवेचना पीड़िता ने अपने बयान अंतर्गत धारा 164 दं0प्र0सं0 में यह कथन किया है कि वह बब्लू के साथ अपनी मर्जी से भागी थी और हमने मंदिर में शादी कर ली है। वह बब्लू से ही सात माह की गर्भवती है। उसे किसी ने बहलाया फुसलाया व भगाया नहीं था।

58– पीड़िता के उपरोक्त बयान अन्तर्गत धारा 161 व 164 द0प्र0सं0 व न्यायालय के समक्ष अंकित किये गये सशपथ बयान के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि पीड़िता द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में स्पष्ट रूप से उसके तथा अभियुक्त के मध्य विवाह से इंकार किया गया है तथा उसके द्वारा इस बात की स्वीकारोक्ति प्रत्येक स्तर पर की गयी है कि उसके तथा अभियुक्त के मध्य शारीरिक सम्बन्ध स्थापित हुए थे, जिससे उसको एक बच्चा हुआ था तथा दौरान विवेचना व इस संसर्ग से गर्भवती भी थी।

59– अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस तर्क पर बल दिया गया कि पीड़िता व अभियुक्त के मध्य जो सम्बन्ध स्थापित हुए थे, वह उनकी सहमति से स्थापित हुए थे। अतः ऐसी दशा में ऐसे शारीरिक सम्बन्ध को बलात्कार की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है।

60– इस सम्बन्ध में **माननीय उच्चतम न्यायालय ने विष्णु बनाम स्टेट आफ महाराष्ट्र, 2006(54) ए0सी0सी0 पेज 554 सुप्रीम कोर्ट, में अवयस्क पीड़िता के साथ बलात्संग के मामले में अवयस्क पीडिता की सम्मति को महत्वहीन होने का अभिमत व्यक्त किया है।**

61– **विधि व्यवस्था ए0आई0आर0 1981 सुप्रीम पेज 361, विधि व्यवस्था 2013 ए0आई0आर0 एस0सी0डब्लू0 पेज 235 एवं विधि व्यवस्था ए 0आई0आर0 2004 एस0सी0 पेज 4404 में भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट अभिमत व्यक्त किया है कि "Sexual intercourse with**

<u>a minor woman is rape irrespective of any consent on her part.</u>"

62— **<u>अद्यतन विधि व्यवस्था सुजीथ बनाम केरल राज्य व अन्य, 2018 एस0सी0सी0 ऑन लाइन केरला के मामले में भी माननीय न्यायालय ने यह अभिमत व्यक्त किया है कि—</u>**एक अवयस्क बालिका को बड़ी आसानी से लैंगिक संभोग हेतु बहलाया फुसलाया जा सकता है। अपनी अवयस्कता के कारण ऐसी अवयस्क बालिका उसके साथ होने वाले कृत्य की समझ नहीं रखती है। अतः ऐसी अवयस्क बालिका, जो 18 वर्ष से कम आयु की है, के द्वारा शारीरिक संबंध बनाये जाने हेतु दी गयी सम्मति महत्वहीन है और अभियुक्त द्वारा कारित कृत्य आपराधिक कृत्य है।

63— जैसा कि पूर्व में इस न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया जा चुका है कि पीड़िता घटना के दिनांक को अवयस्क थी तथा उसकी आयु 15 वर्ष 9 माह 5 दिन थी तथा उपलब्ध साक्ष्यों से यह भी स्पष्ट है कि पीड़िता व अभियुक्त बब्लू के मध्य जब शारीरिक सम्बन्ध स्थापित हुए थे, तब वे शादी—शुदा नहीं थे। ऐसी दशा में प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त बब्लू द्वारा अविवाहित नाबालिग पीड़िता के साथ जो शारीरिक सम्बन्ध स्थापित किया गया था, वह बलात्कार की श्रेणी में आता है।

64— अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दौरान बहस यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि प्रस्तुत प्रकरण में घटना तथा मुकदमा दर्ज करने के मध्य जो विलंब कारित हुआ है, उसका कोई उचित कारण अभियोजन द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिसके कारण अभियोजन कथानक पर युक्तियुक्त संदेह उत्पन्न होता है, जिसका लाभ पाने का अधिकारी अभियुक्त है।

65— उपरोक्त के आलोक में विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा यह तर्क दिया गया कि वादिनी द्वारा बतौर पी0डब्लू—1 ने मुकदमा दर्ज होने में कारित विलंब के बावत अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया है, अतः ऐसी दशा में अभियुक्त मुकदमा दर्ज होने में कारित विलंब का लाभ पाने का अधिकारी नहीं है।

66— इस सम्बन्ध में पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन कथानक अनुसार घटना दिनांक 07.04.2016 के दोपहर 12 बजे की है, जिस सम्बन्ध में प्रथम सूचना रिपोर्ट बतौर मु0अ0सं0 119/2016 अन्तर्गत धारा 363,366 भा0द0सं0 थाना मीरगंज बरेली में दिनांक 10.04.2016 को दोपहर 12.30 बजे वादिनी मुकदमा द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र के आलोक में दर्ज हुयी है।

67— इस सम्बन्ध में वादिनी मुकदमा उर्मिला द्वारा बतौर पी0डब्लू—1 अपनी मुख्य परीक्षा में स्पष्ट रूप से यह अभिकथन किया है कि घटना के दिनांक को जब पीड़िता शाम को घर वापस नहीं आयी, तब उसके बब्लू के फोन पर कई बार फोन लगाया, तो बब्लू ने कोई जबाव नहीं दिया, उसके बाद वह दामाद के साथ बब्लू के घर लड़की को देखने गयी, तो लड़की नहीं मिली। साक्षी द्वारा यह भी अभिकथन किया गया कि उसने पीड़िता को इधर—उधर तलाश किया, तो पीड़िता नहीं मिली,

जिसके बाद उसने थाने पर जाकर मुकदमा पंजीकृत कराया। इस स्तर पर यह उल्लेखनीय है कि अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा पी0डब्लू–1 की प्रतिपरीक्षा में साक्षी से कहीं भी घटना तथा मुकदमा दर्ज करने के मध्य हुए विलंब के बावत कोई भी प्रश्न नहीं पूछा है, जिससे कि यह स्पष्ट हो सके कि अभियोजन कथानक संदेहास्पद है।

68– **माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था मुकेश बनाम दिल्ली राज्य व अन्य ए0आई0आर0 2017 एस0सी0 2161 (तीन जजेज बेंच) में यह स्पष्ट रूप से अवधारित किया है कि** "If causes are not attributable to any effort to concoct a version and the delay is satisfactorily explained by prosecution, no consequence shall be attached to mere delay in lodging FIR and the delay would not adversely affect the case of the prosecution. Delay caused in sending the copy of FIR to Magistrate would also be immaterial if the prosecution has been able to prove its case by its reliable evidence."

69– अतः उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि घटना की रिपोर्ट वादिनी मुकदमा द्वारा पीड़िता के घर न आने के उपरांत उसे तलाश करने का पूरा प्रयास किया गया, और जब वह इस प्रयास में असफल रही तब जाकर उसके द्वारा सम्बन्धित थाने में तहरीरी प्रार्थना पत्र देकर मुकदमा पंजीकृत कराया गया। अतः वादिनी मुकदमा द्वारा मुकदमा विलम्ब से दर्ज कराया जाना कतई प्रकट नहीं होता है। यह भी उल्लिखित करना समीचीन है कि सामान्यतया गांव में ऐसी कोई घटना घटित होने पर पीड़िता के परिवार वाले प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाने में संकोच करते हैं और इस कारण स्वाभाविक अनुक्रम में कुछ विलम्ब हो जाता है। प्रस्तुत प्रकरण में बचाव पक्ष द्वारा ऐसा कोई कथन या तर्क प्रस्तुत नहीं किया गया है कि जिससे यह परिलक्षित होता हो कि वादिनी मुकदमा द्वारा उक्त विलंब साजिशन झूठा मुकदमा कारित करने के उद्देश्य के कारण कारित हुआ हो। अतः इस न्यायालय के मत में प्रस्तुत प्रकरण में मुकदमा पंजीकृत करने में जो विलंब कारित किया गया है कि उसको युक्तियुक्त कारणों से अभियोजन द्वारा अपने साक्ष्य के माध्यम से स्पष्ट किया गया है और ऐसी दशा में उक्त विलंब को उस प्रकृति का नहीं माना जा सकता है, जिसके कारण अभियोजन कथानक पर संदेह उत्पन्न हो तथा जिसका लाभ पाने का अधिकारी अभियुक्त हो सके।

70– इस स्तर पर यह तथ्य उल्लेखनीय है कि अभियुक्त बब्लू के विरूद्ध आरोप अन्तर्गत धारा 376(2)एन भा0द0सं0 के अन्तर्गत विरचित किया गया है, परन्तु न्यायालय के समक्ष पत्रावली पर ऐसा कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे कि यह स्पष्ट हो सके कि अभियुक्त बब्लू व पीड़िता के मध्य जो शारीरिक सम्बन्ध स्थापित हुए थे, वह एक बार से अधिक स्थापित हुए थे। अतः ऐसी दशा में जबकि अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह साबित कर पाने में सफल रहा है कि

अभियुक्त बब्लू द्वारा अवयस्क पीड़िता के साथ के साथ बलात्कार किया गया है, परन्तु यह साबित कर पाने में असफल रहा है कि अभियुक्त बब्लू द्वारा अवयस्क पीड़िता के साथ एक से अधिक बार बलात्कार किया गया हो, इस न्यायालय के मत में प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त बब्लू को धारा 376(2)एन भा0द0सं0 के स्थान पर धारा 376(1) भा0द0सं के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध में दोषसिद्ध किया जाना न्यायसंगत है।

71— इस सम्बन्ध में धारा 222 द0प्र0सं0 उल्लेखनीय है कि जो यह प्रावधानित करती है कि—ज**ब वह अपराध, जो साबित हुआ है, आरोपित अपराध के अन्तर्गत है—**

(1) ***जब किसी व्यक्ति पर ऐसे अपराध का आरोप है जिसमें कई विशिष्टियाँ हैं जिनमें से केवल कुछ के संयोग से एक पूरा छोटा अपराध बनता है और ऐसा संयोग साबित हो जाता है किन्तु शेष विशिष्टियाँ साबित नहीं होती हैं, तब उस छोटे अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जा सकता है यद्यपि उस पर उसका आरोप नहीं था।***

(2) जब किसी व्यक्ति पर किसी अपराध का आरोप लगाया गया है और ऐसे तथ्य साबित कर दिये जाते हैं जो उसे घटाकर छोटा अपराध कर दते हैं तब वह छोटे अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जा सकता है यद्यपि उस पर उसका आरोप नहीं था।

(3) जब किसी व्यक्ति पर किसी अपराध का आरोप है तब वह उस अपराध को करने के प्रयत्न के लिए दोषसिद्ध किया जा सकता है यद्यपि प्रयत्न के लिए पृथक आरोप न लगाया गया हो।

(4) इस धारा की कोई बात किसी छोटे अपराध के लिए उस दशा में दोषसिद्ध प्राधिकृत करने वाली न समझी जाएगी जिसमें ऐसे छोटे अपराध के बारे में कार्यवाही शुरू करने के लिए अपेक्षित शर्तें पूरी नहीं हुई हैं।

72— चूंकि धारा 376(1) भा0द0सं0, धारा 376(2)एन भा0द0सं0 के सापेक्ष लघुत्तर व कम दण्ड से दण्डनीय धारा है, अतः ऐसी दशा में अभियुक्त बब्लू के विरूद्ध धारा 376(1) भा0द0सं0 में आरोप विरचित करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

73— अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों, विधि व विधि व्यवस्थाओं के आलोक में यह न्यायालय इस मत की है कि अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह साबित कर पाने में सफल रहा है कि **अभियुक्त बब्लू द्वारा वादिनी मुकदमा की अवयस्क पुत्री/पीड़िता के साथ बलात्संग कर प्रवेशन लैंगिक हमला कारित किया गया है। तद्नुसार अवधार्यु बिन्दु सं0—3 अभियुक्त के विरूद्ध सकारात्मक रूप से निस्तारित किया जाता है।**

74— अभियोजन की ओर से परीक्षित कराये गये साक्षीगण के साक्ष्य के विश्लेषण एवं पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय साक्ष्यों तथा विधि व्यवस्थाओं के

विश्लेषण उपरांत यह न्यायालय इस मत का है कि अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह साबित कर पाने में असफल रहा है कि अभियुक्त बब्लू द्वारा दिनांक 07.04.2016 को समय करीब 12.00 बजे दोपहर, स्थान ग्राम दिवना थाना मीरगंज बरेली से वादिनी मुकदमा की अवयस्क पुत्री/पीड़िता को बहला फुसलाकर उसकी इच्छा के विरूद्ध विवाह करने/अवैध संभोग करने के लिए अपहरण कर ले जाया गया। अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह साबित करने में सफल रहा है कि अभियुक्त बब्लू द्वारा वादिनी मुकदमा की अवयस्क पुत्री/पीड़िता के साथ बलात्संग कर प्रवेशन लैंगिक हमला कारित किया गया। **तदनुसार अभियुक्त बब्लू धारा 363,366 भा0द0सं0 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त किये जाने योग्य है तथा धारा 376(1) भा0द0सं0 व धारा 4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अन्तर्गत दण्डनीय आरोप में दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।**

आदेश

75— अभियुक्त **बब्लू पुत्र नरेन्द्र सिंह,** निवासी ग्राम सतुइयाखास थाना फतेहगंज पश्चिमी, जिला बरेली को **अपराध संख्या 119/2016**, अंतर्गत धारा 363,366 भारतीय दण्ड संहिता थाना मीरगंज जिला बरेली के आरोप से **दोषमुक्त** किया जाता है तथा **धारा 376(1) भा0द0सं0 व धारा 4** लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के आरोप में **दोषसिद्ध** किया जाता है।

76— अभियुक्त जमानत पर है। उसके जमानत बंधनामें निरस्त कर उसके प्रतिभूगण को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है। अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाय। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के निवेदन पर दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु पत्रावली लंच बाद पेश हो।

(अभिषेक कुमार चतुर्वेदी)
दिनांक 05.09.2022
विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम)/
अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं0—2, बरेली।
J.O.Code UP 1740

77— पत्रावली दण्ड के बिन्दु पर सुनवाई हेतु लंच बाद पेश हुई। दोषसिद्ध बब्लू न्यायिक अभिरक्षा में न्यायालय में उपस्थित है।

78— दोषसिद्ध बब्लू के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि दोषसिद्ध का यह प्रथम अपराध है, वह नवयुवक है तथा वह घर में अकेला कमाने वाला है, अपने बूढे मॉ—बाप का वह इकलौता सहारा है, उसके भविष्य को ध्यान में रखते हुये उसे कम से कम दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया है।

79— विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया है कि अभियुक्त उपरोक्त द्वारा वादिनी मुकदमा की अवयस्क पुत्री/पीड़िता के साथ बलात्कार कर प्रवेश लैंगिक हमला कारित किया गया है तथा अभियुक्त द्वारा एक जघन्य अपराध कारित किया गया है। अतः अभियुक्त को अधिक से अधिक दण्ड से

दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया है।

80— सजा के बिन्दु पर दोषसिद्ध अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक के तर्को को सविस्तार सुना एवं पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

81— दोषसिद्ध अपराधी बब्लू की आयु लगभग 24 वर्ष है तथा वह नवयुवक है तथा परिवार का इकलौता कमाने वाला है तथा परिवार का इकलौता सहारा है। दोषसिद्ध अपराधी बब्लू द्वारा वादिनी मुकदमा की अवयस्क पुत्री/पीड़िता के साथ बलात्कार का प्रवेशन लैंगिक हमला कारित किया गया है। धारा 376(1) भारतीय दण्ड संहिता के अपराध में अधिकतम सजा आजीवन कारावास तक का तथा न्यूनतम दण्ड सात वर्ष का कठोर कारावास तथा अर्थदण्ड से दण्डनीय है। अतः दोषसिद्ध अपराधी की उपरोक्त सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों तथा उसके प्रथम अपराध, उसकी आयु तथा अपराध की गंभीरता के दृष्टिगत उसे दस वर्ष के सश्रम कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना विधि संगत और समीचीन होगा।

82— चूंकि अभियुक्त द्वारा कारित अपराध से पीड़िता को शारीरिक व मानसिक रूप से क्षति पहुंची है। अतः इस न्यायालय के मत में उपरोक्त अर्थदण्ड की सम्पूर्ण धनराशि पीड़िता को दिलाया जाना न्यायसंगत है।

83— दोषसिद्ध अपराधी बब्लू को धारा 376(1) भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के आरोप में दोषी पाया गया है। धारा 376 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 एक ही प्रकार के यौन प्रकृति की घटना व कृत्य से संबंधित है। **पॉक्सो अधिनियम की धारा 42 के अनुसार " जहॉं किसी कार्य या लोप से इस अधिनियम के अधीन और भारतीय दण्ड संहिता की धारा 166 क, धारा 354क, 354ख, 354ग, 354घ, 370, 370क, 375, 376, 376क, 376 ख, 376ग, 376घ, 376 ड. या धारा 509 के अधीन भी दण्डनीय कोई अपराध गठित होता है, वहॉं, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसे अपराध का दोषी पाया गया अपराधी उस दण्ड का भागी होगा, जो इस अधिनियम के अधीन या भारतीय दण्ड संहिता के अधीन मात्रा में गुरूत्तर है।"**

84— **धारा 376(1) भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत न्यूनतम दण्ड सात वर्ष का कठोर कारावास एवं अधिकतम दण्ड आजीवन कारावास तथा जुर्माने का प्रावधान है एंव 4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, के अंतर्गत 05 अगस्त 2019 को संशोधन प्रभावी होने के पूर्व न्यूनतम सात वर्ष के कठोर कारावास एवं अधिकतम दण्ड आजीवन कारावास तथा जुर्माना का प्रावधान है, चूंकि जिससे यह स्पष्ट है कि उपरोक्त दोनों ही धाराओं में समान न्यूनतम व अधिकतम दण्ड का प्रावधान है। चूंकि इस न्यायालय को पाक्सो अधिनियम की सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। अतः अभियुक्त बब्लू को धारा 4 लैंगिक अपराधों से**

<u>बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत दण्डित किया जाना न्यायोचित होगा।</u> उपरोक्त सम्पूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा प्रावधानों के विश्लेषण को दृष्टिगत रखते हुये दोषसिद्ध अपराधी बब्लू को धारा 4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अपराध में दस वर्ष के सश्रम कारावास एवं मुबलिग 50,000/–(पचास हजार) रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना विधिसंगत एवं समीचीन होगा।

<u>आदेश</u>

85– दोषसिद्ध अपराधी **<u>बब्लू पुत्र श्री नरेन्द्र सिंह, निवासी सतुइया खास, थाना फतेहगंज पश्चिमी, जनपद बरेली</u>** को **<u>मु0अ0सं0–119/2016</u>**, थाना मीरगंज जनपद बरेली **<u>अंतर्गत धारा 4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012</u>** <u>के अपराध में</u> **<u>दस वर्ष</u>** <u>के सश्रम कारावास और</u> **<u>मुब–पचास हजार रूपये अर्थदण्ड</u>** <u>से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा करने में व्यतिक्रम की दशा में उसे छः माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।</u>

86– **<u>दोषसिद्ध अपराधी बब्लू द्वारा जमा किये जाने वाले कुल अर्थदण्ड में से सम्पूर्ण अर्थदण्ड मुबलिग 50,000/–(पचास हजार) रूपये पीड़िता के पुनर्वास एवं उसके इलाज के लिए उसे बतौर क्षतिपूर्ति बादहू मियाद अपील दिलाया जाय।</u>**

87– दोषसिद्ध अपराधी **<u>बब्लू</u>** द्वारा जेल में बितायी गयी उपरोक्त अवधि को सजा की अवधि में समायोजित किया जाय। दोषसिद्ध अपराधी **<u>बब्लू</u>** का सजायावी वारण्ट बनाकर सजा भुगतने के लिए जिला कारागार, बरेली अविलम्ब प्रेषित किया जाय। इस निर्णय की एक प्रति जिला कारागार अधीक्षक, बरेली को भी प्रेषित किया जाय।

88– **<u>दोषसिद्ध अपराधी बब्लू</u>** को **<u>निर्णय की एक प्रति निःशुल्क</u>** अविलम्ब नियमानुसार उपलब्ध करायी जाय।

(अभिषेक कुमार चतुर्वेदी)
दिनांक 05.09.2022 विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम)/
अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं0–2, बरेली।
J.O.Code UP 1740

उपरोक्त निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर उद्घोषित किया गया।

(अभिषेक कुमार चतुर्वेदी)
दिनांक 05.09.2022 विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम)/
अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं0–2, बरेली।
J.O.Code UP 1740

Digitally signed by Abhishek Kumar Chaturvedi
Date: 2022.09.04 17:33:20 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court